(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 278 / 2022 **जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 740**

1. जयवीर सिंह पुत्र प्रभू सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

..................वादी

बनाम

1. ओमसिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभु सिंह
3. राजेन्द्र सिंह
4. कर्ण सिंह पुत्रान महेशदान सिंह
5. गजराज सिंह पुत्र शहजाद सिंह
6. बलबीर सिंह
7. दीप सिंह
8. विजय सिंह पुत्रान भंवर सिंह
9. महावीर सिंह
10. बिजेन्द्र सिंह पुत्रान मदन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.................प्रतिववादीगण

(उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.))

दावा बाबत– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णयः– **दिनांकः–** 22/7/24

वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख0नं0 47 रकबा 1.01 है0 के खातेदार कास्तकार ओम सिंह पुत्र प्रभू सिंह हिस्सा 1/6, कर्ण सिंह पुत्र महेशदान सिंह हिस्सा 1/6, राजेन्द्र सिंह पुत्र महेशदान सिंह हिस्सा 1/6, सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रभु सिंह हिस्सा 1/6, शहजाद सिंह पुत्र रणजीत सिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सम्वत 2075 ल0 2078 दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि शहजाद सिंह पुत्र रणजीत सिंह का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रति0 सं0 5 ल0 10 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि विवादित भूमि संवत 2070 ल0 2073 तक शहजाद सिंह पुत्र रणजीत सिंह के नाम दर्ज थी जिसका दावा वादी व प्रति0 सं0 1 ल0 4 ने घोषणात्मक हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय बुहाना के यहा बउनवानी राजेन्द्र सिंह बनाम गजराज सिंह मु0नं0 146/2013 प्रस्तुत किया। जिसका दिनांक 24.06.2015 को निर्णय वादी व प्रति0 सं0 1 ल0 4 के पक्ष में हुआ तथा निर्णय में वादी को विवादित भूमि में उसके भाईयों प्रति0 सं0 1 व 2 के साथ 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया अर्थात विवादित भूमि में वादी को 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया था।
4. यह कि उक्त निर्णय की पालना की गई उस समय प्रति0 सं0 11 ने निर्णय की पालना में भू राजस्व अधिकारियों ने नामान्तरण सं0 221 दिनांक 27.01.2016 को पुर किया। उस नामान्तरण में वादी का नाम छोड़ दिया तथा प्रति0 सं0 1 व 2 के 1/6, 1/6 हिस्से दर्ज कर दिये। जो कि गलत दर्ज कर दिये। तथा उसके बाद की जमाबन्दी में भी प्रति0 सं0 1 व 2 का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया। जो कि गलत दर्ज कर दिया। क्योकि विवादित भूमि में वादी, प्रति0 सं0 1 ल0 2 के साथ 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने घोषित किया था। इस प्रकार विवादित भूमि में वादी का 1/9 हिस्सा, प्रति0 सं0 1 1/9 हिस्सा व प्रति0 सं0 2 का 1/9 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था और इसी अनुसार हिस्से दर्ज होगे। तथा इसी अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित होगे। इसलिए यह वाद घोषणात्मक पेश किया जा रहा है।
5. यह कि विवादित भूमि का रिकार्ड दुरूस्त कर प्रति0 सं0 1 का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/9 हिस्सा व प्रति0 सं0 2 का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/9 हिस्सा तथा 1/9 हिस्सा वादी दर्ज होगा तथा शेष हिस्सा यथावत रखा जावे। क्योकि पुराने वाद पत्र राजेन्द्र सिंह बनाम गजराज सिंह में उपखण्ड अधिकारी महोदय बुहाना द्वारा प्रति0 सं0 1 व 2 के साथ विवादित भूमि में वादी को भी 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया था अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया था परन्तु भू राजस्व अधिकारियों की लिपिकीय गलती या भूलवश वादी का नाम विवादित भूमि में नहीं आया। जबकि केवल मात्र प्रति0 सं0 1 व 2 को 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। जबकि वादी व प्रति0 सं0 1 व 2 का विवादित भूमि में 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। और इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त होगा। इसलिए यह रिकार्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). कि वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख0नं0 47 रकबा 1.01 है0 में वादी को 1/9 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा प्रति0 सं0 1 व 2 को 1/6, 1/6 के स्थान पर 1/9, 1/9 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(ख). कि विवादित भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करते हुए प्रति0 सं0 1 व 2 का रिकार्ड 1/6, 1/6 के स्थान पर 1/9, 1/9 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा 1/9 हिस्सा ही वादी के नाम रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:29 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 11 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 7, 8 की ओर से श्री जगदेव सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा/इकबालीया जवाब दिनांक 07.12.2022 पेश किया गया। वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकार किया गया है। वकील वादी ने बहस पेश कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.06.2015 मुक्दमा नम्बर 146/2013 की आंशिक पालना हुई है। दोनो पक्षों का राजीनामा व इकबालिया जवाब पेश है। दोनो पक्ष सहमत पूर्व में 2015 का निर्णय भी संलग्न है। किसी ने कोई ऐतराज पेश नही किया है।

दावा वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए। वादी व प्रतिवादी दोनो सहमत है बहस के आधार पर राजस्व वाद 146/2013 के निर्णय दिनांक 24.06.2015 को प्रतिवादीगण के इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

–::आदेश::–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 86 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के हाल ख0 न0 ख0 न0 47 रकबा 1.01 में वादी का 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/6, 1/6 के स्थान पर 1/9, 1/9 का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूध्द्व दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 22/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:29 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 278 / 2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 740

निर्णय दिनांक :– 22/7/24

जयवीर सिंह **बनाम** ओमसिंह आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री विजयपाल यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 7, 8 की और से श्री जगदेव सिंह एड़ उपस्थित व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 86 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के हाल ख0 न0 ख0 न0 47 रकबा 1.01 में वादी का 1/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/6, 1/6 के स्थान पर 1/9, 1/9 का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे /हिस्से/खसरा नम्बर के विरूध्द्व दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22/7/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:29 IST
Reason: SelfAttested